सुपौल में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के दौरान श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–05.01.2018 को टी0सी0पी0 भवन, समाहरणालय सुपौल में सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिला के जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

- सर्वप्रथम आयुक्त, सहरसा प्रमण्डल, सहरसा द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय मंत्रीगण/माननीय सांसद/माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा/विकास आयुक्त, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा प्रक्षेत्र/राज्यस्तरीय पदाधिकारीगण/जिलास्तरीय पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया।
- विकास आयुक्त, बिहार द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए बताया गया कि मुख्य रूप से सात निश्चय, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, धान अधिप्राप्ति तथा इसके उपरांत जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र से संबंधित समस्या/सुझाव प्राप्त किए जायेंगे। तद्नुसार बिन्दुवार समीक्षा प्रारंभ की गई:–

- **<u>मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यकम</u>**

- **आर्थिक हल, युवाओं को बल**

- विकास आयुक्त, बिहार द्वारा सात निश्चय से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जिलावार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा सात निश्चय अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई जो निम्नवत् है :–

- **बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट केडिट कार्ड योजना के तहत 385 आवेदन आये जिसमें 366 आवेदन स्वीकृत तथा 19 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया।

✓ जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड के तहत् प्राप्त आवेदनों की संख्या–370, स्वीकृत आवेदनों की संख्या–367 एवं अस्वीकृत आवेदनों की संख्या–03 है, जिसमें 308 आवेदन बैंक को प्रेषित किया गया। 240 आवेदनों को बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें 124 आवेदकों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा ने बताया कि आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर 350 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 309 आवेदन को स्वीकृत किया गया तथा 41 आवेदन को विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किया गया। बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में प्राप्त आवेदन में 266 आवेदन बैंक को भुगतान हेतु भेजा गया, जिसमें बैंक द्वारा 210 आवेदन स्वीकृत करते हुए 88

लाभुकों के बीच 61725761.00 रू० वितरित किया गया। आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम हेतु 8163 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 8102 आवेदन स्वीकृत किये गये तथा 61 आवेदन अस्वीकृत किये गये। वर्तमान में कुशल युवा कार्यक्रम अन्तर्गत 3227 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 2266 युवा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके है।

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 4022 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 2962 आवेदन स्वीकृत एवं 1060 आवेदन अस्वीकृत किये गये।

✓ जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत् कुल 4532 आवेदन प्राप्त हुआ। 3005 आवेदन स्वीकृत किया गया एवं 1527 आवेदन अस्वीकृत किया गया। 2903 युवा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु 2819 आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें 1580 आवेदन स्वीकृत एवं 1239 आवेदन को अस्वीकृत किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत 1427 युवाओं को भी प्राप्त करा दिया गया है।

माननीय मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में अस्वीकृत आवेदन की संख्या अधिक होने के कारण की समीक्षा करने हेतु निदेशित किया गया।

- **कुशल युवा कार्यकम**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 7110 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 7091 आवेदन स्वीकृत एवं 19 आवेदन अस्वीकृत किये गये।

✓ जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत् कुल 9054 आवेदन प्राप्त किया गया। कुल 9030 आवेदन स्वीकृत किया गया तथा 24 आवेदन को अस्वीकृत किया गया, जिसमें से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये युवाओं की संख्या–3642 है तथा 2295 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही मधेपुरा जिला में कुल 37 कौशल विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा ने बताया कि कुशल युवा कार्यक्रम हेतु 8163 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 8102 आवेदन स्वीकृत किये गये तथा 61 आवेदन अस्वीकृत किये गये। वर्तमान में कुशल युवा कार्यक्रम अन्तर्गत 3227 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 2266 युवा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके है।

माननीय मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में अस्वीकृत आवेदन की संख्या अधिक होने के कारण की समीक्षा करने हेतु निदेशित किया गया।

- **सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल ने बताया कि इसके तहत 3 महाविद्यालयों में यह सुविधा बहाल है, अब तक 208 विद्यार्थी यूजर्स के रूप में इसके लिए पंजीकृत किये गये हैं।

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल ने बताया कि इसके तहत 5 महाविद्यालयों तथा 1 विश्वविद्यालय में यह सुविधा बहाल है, अब तक 433 विद्यार्थी महाविद्यालय में तथा 157 विद्यार्थी विश्वविद्यालय में यूजर्स के रूप में इसके लिए पंजीकृत किये गये हैं।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा ने बताया कि इसके तहत 9 महाविद्यालयों में यह सुविधा बहाल है, अब तक 806 विद्यार्थी यूजर्स के रूप में इसके लिए पंजीकृत किये गये हैं।

प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन द्वारा बताया गया कि बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा तथा के0पी0 कॉलेज, मधेपुरा में वाई–फाय की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। जहां औसतन प्रतिदिन 1.79 जी0बी0 डाटा उपयोग किया जा रहा है।

- **हर घर बिजली लगातार :–**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि सुपौल जिला में अब तक 197740 घरों को विद्युत संपर्क उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2017–18 तक 79977 घरों में विद्युत संपर्क देने का लक्ष्य है। इसे पूरा कर लिया जायेगा।

✓ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिला में अब तक 155300 घरों को विद्युत संपर्क उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2017–18 तक 93196 घरों में विद्युत संपर्क देने का लक्ष्य है। इसे पूरा कर लिया जायेगा।

✓ प्रधान सचिव, ऊर्जा ने बताया कि मधेपुरा में सभी टोलों में बिजली का कार्य पूर्ण हो चुका है। बताया गया कि दिसम्बर, 2018 तक हर घर बिजली का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा ने बताया कि सहरसा जिला के सभी गाँवों (कुल 444) में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। SECC के अनुसार कुल 351154 घरों में से 161829 घरों को विद्युत सम्पर्क उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 77469 घरों में बिजली सम्पर्क उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 तक विद्युत सम्पर्क देने हेतु लक्षित घरों की संख्या – 77469 में 16780 घरों को विद्युत सम्पर्क उपलब्ध कराया गया है। सहरसा जिला में विद्युत की प्रतिदिन की औसत उपलब्धता 23 घंटे है।

✓ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि अखबार के माध्यम से पता चला है कि सहरसा में हाई टेंशन तार गिर जाने के कारण चार बच्चों की मृत्यु हो गयी है जो अत्यंत ही दुखद घटना है। हाई टेंशन तार गिरने से पहले सर्किट ब्रेकर Open क्यों नहीं हुई।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि 04.01.2018 को सहरसा जिला के डी.बी. रोड होटल राज दरबार गली में हाई टेंशन तार गिर जाने के कारण चार बच्चों की मृत्यु हो गयी

19

जिसके जाँच हेतु एक तीन सदस्यीय टीम बनायी गयी है। साथ ही दिसम्बर 2018 तक विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा।

- **हर घर नल का जल :–**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि सुपौल जिला में 22731 घर शहरी क्षेत्र में तथा 426359 घर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र में 20492 घरों में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 420475 घरों में नल का जल पहुँचाना शेष रह गया है। साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कुल 53 वार्डों में से 30 वार्डों में नल का जल पहुँचाने का कार्य शुरू हो चुका है।

✓ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिला में 20293 घर शहरी क्षेत्र में हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र में 1024 घरों में नल का जल पहुँच चुका है, शेष 16386 घरों को पहुँचाने का लक्ष्य है। साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कुल 41 वार्डों में से 37 वार्डों में नल का जल पहुँचाने का कार्य शुरू हो चुका है।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला में 40032 घर शहरी क्षेत्र में तथा 351154 घर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र में 26013 घरों में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 156055 घरों में नल का जल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित है, इसे पूरा करा लिया जायेगा। साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कुल 55 वार्डों में से 14 वार्डों में नल का जल पहुँचाया जा चुका है।

- **घर तक पक्की गली नालियाँ :–**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि घर तक पक्की गली नालियों के तहत ग्रामीण वार्डों की संख्या 2529 है, जिनमें वर्ष 2017–18 में 1274 वार्डों में इसका आच्छादन का लक्ष्य है, 444 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कुल शहरी वार्डों की संख्या 53 है, इन सभी 53 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

✓ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि घर तक पक्की गली नालियों के तहत ग्रामीण वार्डों की संख्या 2242 है, जिनमें वर्ष 2017–18 में 1122 वार्डों में इसका आच्छादन का लक्ष्य है, 449 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कुल शहरी वार्डों की संख्या 41 है, इन सभी 41 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि घर तक पक्की गली नालियों के तहत ग्रामीण वार्डों की संख्या 2074 है, जिनमें वर्ष 2017–18 में 1037 वार्डों में इसका आच्छादन का लक्ष्य है, 138 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कुल शहरी वार्डों की संख्या 55 है, इन सभी 14 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

18

- **शौचालय निर्माण घर का सम्मान :–**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि सुपौल जिला में वर्ष 2017–18 में शहरी क्षेत्र में 10189 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 183507 घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। जिला में 181 कुल पंचायत हैं जिनमें 16 ओ.डी.एफ. हो चुके हैं।

✓ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिला में वर्ष 2017–18 में शहरी क्षेत्र में 11357 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 135194 घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। जिला में 170 कुल पंचायत हैं जिनमें 5 ओ.डी.एफ. हो चुके हैं।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला में वर्ष 2017–18 में शहरी क्षेत्र में 14578 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 105617 घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। जिला में 151 कुल पंचायत हैं जिनमें 13 ओ.डी.एफ. हो चुके हैं।

- **अवसर बढ़े, आगे पढ़े :–**

✓ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में एक जी.एन.एम. स्कूल बनाने का लक्ष्य है। साथ ही, एक पैरा मेडिकल संस्थान बनाने का लक्ष्य है। इन दोनों संस्थानों के लिए भूमि उपलब्ध है एवं बी.एम.एस.आई.सी.एल., पटना के द्वारा एजेंसी का चयन कर लिया गया है, जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

✓ सुपौल, बीरपुर एवं त्रिवेणीगंज में एक–एक सरकारी तथा सुपौल में एक निजी आई०टी०आई० कॉलेज है। साथ ही सुपौल में एक सरकारी महिला आई.टी.आई. कॉलेज में वर्ष 2016 से प्रशिक्षण कार्य अपने भवन में चल रहा है। सरकारी क्षेत्र में सुपौल में एक अभियंत्रण महाविद्यालय निर्माणाधीन है तथा एक पॉलिटेक्नीक संस्थान है जो वर्ष 2016 से अपने भवन में कार्यरत है।

✓ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में एक जी.एन.एम. स्कूल बनाने का लक्ष्य है। साथ ही, एक पैरा मेडिकल संस्थान बनाने का लक्ष्य है, इसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

✓ मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज में एक–एक सरकारी तथा मधेपुरा में तीन निजी आई.टी. आई. संस्थान कार्यरत हैं। यहाँ पूर्व से एक सरकारी महिला आई.टी.आई. संस्थान संचालित है। यहाँ सरकारी क्षेत्र में एक अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास 04.01.2018 को प्रस्तावित है। साथ ही एक पॉलिटेकनीक संस्थान सरकारी क्षेत्र में स्थापित होना है। इसके भवन संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।

✓ जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में एक जी.एन.एम. स्कूल बनाने का लक्ष्य था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। पैरा मेडिकल संस्थान की संख्या–01 है। पैरा–मेडिकल संस्थान की स्थापना हेतु प्राप्त लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। सिमरी

17

बख्तियारपुर अनुमंडल में वर्ष 2017–18 में एक ए.एन.एम. स्कूल की स्थापना हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है, जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

✓ सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में वर्ष 2017–18 में लक्ष्य के विरुद्ध एक आई०टी०आई० कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि के लिए पत्रांक – 273–2 दिनांक 14.12.2017 द्वारा 2.99 एकड़ भूमि सतत् लीज पर लेने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को भेजा गया है। अनुमोदन के उपरांत भूमि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारंभ की जाएगी। जिले में निर्माणाधीन एक महिला आई.टी.आई. कॉलेज की स्थापना के लिए निरूपण हेतु मुख्य अभियंता (निरूपण) को पत्र भेजी गयी है। राजकीय पॉलिटेकनिक के खाते के जमीन में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। जिले में एक अभियंत्रण/पॉलिटेकनिक कॉलेज के निर्माण का कार्य चल रहा है। सहरसा जिला में वर्तमान में एक सरकारी पॉलिटेकनिक कॉलेज है।

- **लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम**– इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि सुपौल जिले में आवेदनों के निष्पादन की स्थिति संतोषप्रद एवं सराहनीय है। इसके अंतर्गत 68 प्रतिशत दण्ड की राशि की वसूली हुई है एवं 57 प्रतिशत आवेदन अपलोड हुआ है।

नियत समय सीमा के अंदर मधेपुरा में निष्पादन 92 प्रतिशत हुआ है। तत्काल सेवा में मधेपुरा 13 प्रतिशत है। बताया गया कि मधेपुरा में अपेक्षित प्रगति लाने की आवश्यकता है। बताया गया कि बिजली बिल निष्पादन में शतप्रतिशत कार्य हुआ है। दाखिल खारिज मधेपुरा जिला में 86 प्रतिशत कार्य हुआ है। दाखिल खारिज शुद्धि पत्र 100 प्रतिशत हुआ है। भू–स्वामित्व बताया गया कि मधेपुरा में अच्छा है।

दाखिल खारिज शुद्धि पत्र सहरसा जिला में मात्र 19 प्रतिशत अपलोड किया गया है, जिसे बढ़ाने हेतु जिलाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया गया।

- **लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम**–इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि सुपौल जिले में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन संतोषप्रद है। निष्पादन का प्रतिशत 99.85 है।

- **धान अधिप्राप्ति** :–

प्रधान सचिव, सहकारिता द्वारा बताया गया कि तीनों जिला में धान अधिप्राप्ति की स्थिति अच्छी है, कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। बताया गया कि स्टेट कॉ–ओपरेटिव बैंक द्वारा नियमानुसार भुगतान हो रहा है।

- **सभी जनप्रतिनिधियों से बारी–बारी से स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया तथा लिखित प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया।**

16

- **श्री ललन कुमार सराफ, माननीय विधान पार्षद**

✓ मधेपुरा नगर परिषद् के स्टेशन रोड, पूर्णिया गोला चौक के दोनों तरफ एवं एस.एन.पी. एम. हाई स्कूल के पास अत्यधिक जल–जमाव होता है अतः इन स्थानों पर नाला का निर्माण कराकर जल–जमाव की समस्या से मुक्ति दिलायी जाय।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा बताया गया कि मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में ड्रेनेज के लिए डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हुआ था। इस पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

✓ मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य जून, 2018 तक में समाप्त हो जाना है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय ताकि मेडिकल कॉलेज में पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ हो सके।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा का प्रथम चरण का कार्य अगले 02 माह में पूर्ण हो जायेगा। 2018 से एम0बी0बी0एस0 के प्रथम बैच की पढ़ाई शुरू की जायेगी, जिसके लिए मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया है।

- **श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, माननीय विधायक, निर्मली**

✓ सरायगढ़–भपटियाही में ट्रामा सेंटर खोला जाय।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि सरायगढ़–भपटियाही में ट्रामा सेंटर खोलने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र ही ट्रामा सेंटर खोल दिया जायेगा।

✓ सुपौल जिलान्तर्गत 70 प्रतिशत पेंशनधारियों को ही पेंशन मिला है, 30 प्रतिशत अभी भी वंचित हैं।

इस पर प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि कई जिलों से इस प्रकार की समस्यायें आ रही है। इस संबंध में प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर छूटे हुए लोगों को जोड़ा जा रहा है, साथ ही जरूरतमंदों को पेंशन का लाभ प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

- **श्री यदुवंश कुमार यादव, माननीय विधायक, पिपरा**

✓ एन0 एच0–106 सरहोचिया से निर्मली एस0 एच0 76 (अब एन0 एच0)एन0 एच0 327 को जोड़ने वाली सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित कर निर्माण कराया जाय।

✓ पिपरा एन0 एच0 106 से चंपानगर होते हुए प्रतापगंज एन0 एच0 57 को जोड़ने वाली सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित कर निर्माण कराया जाय।

✓ ग्राम रतौली–जरौली के मध्य उच्च विद्यालय के निकट पुल निर्माण कराया जाय।

✓ ग्राम गढ़िया विशनपुर के मध्य तिलावे नदी पर पुल निर्माण कराया जाय।

✓ ग्राम बेलोखड़ा में धिमरा नदी पर पुल निर्माण कराया जाय।

✓ पूर्वी कोशी तटबंध के पश्चिमी किनारे ग्राम–खखई में पुल निर्माण कराया जाय।

✓ ग्राम कमलदाहा एवं एन0 एच0 57 के बीच पुरानी कोशी नदी में पुल निर्माण कराया जाय।

✓ ग्राम लिटियाही एवं पिपराही के बीच बमभोजी म0 वि0 कस्तुरबा विद्यालय से उत्तर तिलावे नदी में पुल निर्माण कराया जाय।

✓ ग्राम–फुलकाहा (किशनपुर) एवं पूर्वी कोशी तटबंध के बीच पुल का निर्माण कराया जाय।

✓ वीरपुर एन0 एच0 106 का चौड़ीकरण कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। पिपरा बाजार में चौड़ीकरण के लिए वांछित भूमि कम रहने के कारण भू–अधिग्रहण की आवश्यकता है। मकान–दुकान सहित जमीन अधिगृहित करना होगा, जिसमें काफी लागत मुआवजा का भुगतान करना पड़ेगा। पिपरा बाजार से एन0 एच0 106 एवं एन0 एच0 327 ए0 गुजरने तथा सड़क संकीर्ण रहने के कारण बायपास सड़क के रूप में विकसित की जाय। इसके लिए एन0 एच0 106 विलन्दी स्थान पिपरा से कमलपुर पुल तक पिपरा बाजार से पश्चिम जमीन बिल्कुल खाली है। बाजार के बदले इस बीच की जमीन अधिगृहित किये जाने से कम लागत में स्थायी समाधान हो जायेगा।

✓ स्व0 ढोढाय मंडल प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय, किशनपुर के सरकारी नीति के तहत प्रत्येक पंचायत में बनने वाले 10+2 विद्यालय के प्रावधान के अनुरूप दर्जा प्रदान की जाय/परिणत की जाय।

✓ पूर्वी कोशी तटबंध का उँचीकरण एवं कालीकरण कार्य सरकार द्वारा कराया गया है। पूर्वी कोशी तटबंध का सुपौल एवं सरायगढ़ प्रखंड भाग में कालीकरण कार्य सम्पन्न हो चुका है। बीच में किशनपुर प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले भाग में कालीकरण कर संवेदक ने कार्य बंद कर दिया है, जिससे इस भाग में बसे लोगों को यातायात की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः कालीकरण का अवशेष कार्य पूर्ण कराया जाय।

✓ किशनपुर गणपतगंज सड़क में सुखासन गाँव के तिलावे नदी में लोहे का संरचना पुल बना हुआ है। उक्त लोहे पुल के बगल में आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कराया जा रहा है। संवेदक द्वारा बिना डायवर्सन बनाये पुल का पश्चिमी भाग क्षतिग्रस्त कर यातायात बाधित कर दिया गया है। अतः डायवर्सन बनवाकर यातायात चालू करवायी जाय।

✓ एक ही जिले में दो तरह की व्यवस्था चलायी जा रही है। 1902 के बाद सर्वे कार्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। निबंधन कार्य भी पुराने सर्वे के आधार पर किया जा रहा है, किन्तु सुपौल जिला में दोहरी नीति चलाई जा रही है। जिले के किशनपुर एवं सरायगढ़–भपटियाही अंचल में नये सर्वे के आधार पर कार्य सम्पादित कर किसानों की हकमारी की जा रही है। अतः पुराने जमाबंदी के आधार पर लगान की वसूली किशनपुर एवं सरायगढ़–भपटियाही अंचल में करवाकर एकरूपता लाई जाय।

(4

✓ पिपरा प्रखंड के मौजा जोल्हनियाँ अंतर्गत कैलाशपुरी मेला स्थल को पर्यटन मानचित्र में शामिल कर उसका विकास किया जाय।

✓ कैलाशपुरी मेला पिपरा प्रखंड की अतिक्रमित 23 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाय।

✓ पिपरा थाना सम्प्रति भाड़े के मकान में चल रहे हैं, जबकि वहीं पर सरकारी जमीन है। इस सरकारी जमीन पर भवन का निर्माण करवाकर थाना को शिफ्ट किया जाय।

- **श्री नीरज कुमार सिंह, माननीय विधायक, छातापुर**

✓ छातापुर प्रखंड के झखाड़गढ़ पंचायत के सिमनी घाट एवं घीवहा पंचायत के जोरी पिपर घाट पर सुरसर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य।

✓ छातापुर प्रखंड के उधमपुर पंचायत के अनंत चौक घाट पर गेंडा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य।

✓ प्रतापगंज–लालजी चौक पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सड़क के विभिन्न स्थानों पर तीन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य ।

✓ ललित ग्राम से तुलसीपट्टी निर्मित विश्व बैंक सड़क में कोशी मुख्य नहर के पास जल छाजन वाले स्थान पर एक पुल निर्माण कार्य।

✓ छातापुर प्रखंड के मधुबनी पंचायत में प्रतापगंज जाने वाली सड़क में मिरचईया नदी में एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य।

✓ बलुआ जदिया एस0 एच0 के सिद्दिकी चौक से लालगंज–तिलाठीपथ का निर्माण कार्य कराया जाय।

✓ बसंतपुर प्रखंड के ढाढा–विशनपुर पथ में भेंगाधार पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण एवं अवशेष पथ का निर्माण कार्य।

✓ छातापुर प्रखंड के जीवछपुर, भीमपुर, शाहपुर (मोहम्दगंज) राजेश्वरी पश्चिम, रतनसार एवं चैनपुर में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण हो चुका है परन्तु अभी तक एक भी स्वास्थ्य केन्द्र चालू नहीं हो सका है।

✓ विश्व बैंक सम्पोषित तृतीय चरण के सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने हेतु निविदा प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाया जाय।

- **श्री अरूण कुमार, माननीय विधायक, सहरसा**

✓ मानसी (खगड़िया) सलखुआ, सहरसा होते हुए हरदी–चौघारा सुपौल तक स्वीकृत राज्य उच्च पथ (एस.एच.डब्ल्यू.) का निर्माण करवाया जाय।

✓ एन.एच.107 सहरसा बस्ती से समदा होते हुए भवटिया स्टेट हाइवे सड़क तक जाने वाली आर.ई.ओ. सड़क को पी.डब्ल्यू.डी. सड़क में परिणत किया जाए।

✓ सहरसा रिफियूजी कॉलोनी चौक से ढोली होते हुए बलवा जानेवाली सड़क को पी. डब्ल्यू.डी. विभाग में अधिग्रहण करवाया जाय।

(3)

✓ नगर परिषद सहरसा में सड़क निर्माण, शुद्ध पेयजल एवं जल निकासी हेतु बड़े ड्रेनेज का निर्माण करवाया जाय।

✓ सौर बाजार प्रखंड, जिला–सहरसा अंतर्गत सौर बाजार पंचायत में स्थित स्लेट धार एवं सहुरिया पश्चिमी पंचायत से पश्चिम दुधैला तिलावे धार में पुल एवं सड़क का निर्माण करवाया जाय।

✓ बैजनाथपुर, जिला–सहरसा में स्थित बंद पड़े कागज फैक्ट्री को चालू किया जाए अन्यथा उस स्थान पर एम्स का निर्माण करवाया जाय।

✓ उच्च विद्यालय, बैजनाथपुर, मनोहर उच्च विद्यालय, सहरसा एवं कहरा प्रखंड अंतर्गत महंथ मिट्ठू दास उच्च विद्यालय, अमरपुर के जर्जर भवन का निर्माण एवं पर्याप्त उपलब्ध जमीन पर स्टेडियम बनाया जाय।

- **श्री रत्नेश सदा, माननीय विधायक, सोनवर्षा**

✓ सोनवर्षा प्रखंड के मोकमा पंचायत के मोकमा उच्च विद्यालय से भद्दी दुर्गा स्थान तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय।

✓ सोनबर्षा प्रखंड के सरौनी मधेपुरा पंचायत के झिटकिया पुल से झिटकिया गांव से महुआ बाजार से मलौधा तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय।

✓ मंगला बाजार से महुआ बाजार तक सड़क का निर्माण कराया जाय।

✓ सहसौल पंचायत के गरेड़ी टोला से सहसौल तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय।

✓ पतरघट प्रखंड के पतरघट मेनरोड से उप स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए मानीकपुर सुरमाहा भजनपट्टी पहाड़पुर से रेशना तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराया जाय।

✓ बनमा ईटहरी प्रखंड कार्यालय का भवन नहीं है इसे बनवाया जाय।

✓ बनमा ईटहरी प्रखंड के राम पोखर महादलित टोला से पश्चिम नदी में पुल का निर्माण कराया जाय।

✓ महिषी प्रखंड के कुन्दह पंचायत के उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जाय।

✓ सहसोल पंचायत के उप स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर पदस्थापित किया जाय।

- **श्री निरंजन कुमार मेहता, माननीय विधायक, बिहारीगंज**

✓ उदाकिशुनगंज अनुमण्डल अस्पताल को प्रारंभ करवाया जाए

✓ गंगापुर एवं रमनीघाट पर पुल निर्माण कराया जाए।

✓ बिहारीगंज को नगर पंचायत घोषित किया जाए।

✓ उत्क्रमित उच्च विद्यालयों का संचालन कराया जाए।

- **श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय विधायक, आलमनगर**

✓ पथ प्रमंडल मधेपुरा के अधीन 0 माईल भटगामा से चौसा, पुरैनी, उदाकिशुनगंज तक जाने वाली एस.एच.58 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय।

✓ 0 माईल खुरहन से पड़ैल, रतवाड़ा, कपसिया तक जानेवाली पी.डब्ल्य.डी. पथ के 12वें कि0मी0 खापुर से रतवाड़ा कपसिया तक जानेवाली क्षतिग्रस्त पथ का सुदृढ़ीकरण कराया जाय।

✓ ग्रामीण कार्य प्रमंडल उदाकिशुनगंज के अधीन एन.एच. 106 मधेली चौक से मधेली गोठ, बलिया, बालाटोल प0 टोला, रौता, बथनाहा पी.एम.जी.एस.वाई. पथ तक जानेवाली एम.एम.जी.एस.वाई. पथ की मरम्मति करायी जाय।

✓ एन.एच.106 बाराटेनी चौक से बाराटेनी गोठ, लश्करी, दुहबी सुहबी पी.एम.जी.एस.वाई. पथ की मरम्मति करायी जाय।

✓ ग्रामीण कार्य प्रमंडल उदाकिशुनगंज के अधीन प्रखंड आलम नगर के चन्द सारा कबैया पथ में कबैया धार में उच्चस्तरीय पुल, फौरसाही तिलकपुर धार में पी.एम.जी.एस.वाई. पथ में उच्च स्तरीय पुल, सोनवर्षा गौढियारी बहुरवा आर.डब्ल्यू.डी. पथ में भागीपुर के निकट हरेली धार डेनेज पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जाय।

विजय घाट पुल जीरो माईल–भटगामा से चौसा–पुरैनी होते हुए बालु, गिट्टी से ओभरलोडेड ट्रकों का आवागमन होता था, जिस कारण वहां पर बैरियर लगा दिया गया है। बैरियर के लग जाने से आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस सड़क का चौड़ीकरण करवाया जाए।

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा बताया गया कि विजय घाट पुल में भू–अर्जन का मामला है, जिसमें जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पथ की चौड़ाई 3.5 मीटर से 10 मीटर कर दी गयी है तथा एस0एच0 58 में 234 करोड़ की स्वीकृति हो गयी है।

✓ उदाकिशुनगंज प्रखंड अंतर्गत स्वीकृत ए.पी.एच.सी., खाड़ा का भवन निर्माण कराया जाय।

पेंशन योजना के तहत ग्राहक सेवा केन्द्रों पर अनपढ़ महिलाओं एवं पुरूषों से निर्धारित राशि पर अंगूठा लगवाकर कम राशि का भुगतान किया जाता है, इसे देखा जाय।

सचिव, वित्त विभाग को ऐसे ग्राहक सेवा केन्द्रों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही संबंधित जिले के जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि गड़बड़ी/जालसाजी करने वाले ग्राहक सेवा केन्द्रों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जाय।

- **श्रीमती मंजू देवी, माननीया अध्यक्षा, जिला परिषद, मधेपुरा**

✓ 13/14 वीं वित आयोग की अनुशंसा में मात्र ग्राम पंचायतों को ही विकास कार्यो को करने का अधिकार दिया गया है। इसमें जिला परिषद् एवं पंचायत समिति को अलग कर दिया गया है। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्यों को भी यह अधिकार दिया जाय।

- **श्रीमती रंजू देवी, माननीया अध्यक्षा, जिला परिषद, सुपौल**

✓ जिला परिषद के प्रति पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाय।

✓ जिला परिषद की सुनवाई नहीं होती है, इसे देखा जाय।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा बताया गया कि माननीय विधायक श्री नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा बताया गया था कि सी0एस0पी0 (ग्राहक सेवा केन्द्र) में ग्रामीण महिलाओं /पुरूषों को राशि की निकासी में गड़बड़ी है। मांग किया गया कि खाता में कितना राशि प्राप्त हुई,

11

उससे संबंधित एक प्रमाण–पंत्र/पूर्जा/स्लिप दे दे, ताकि ग्राहकों को यह पता चल सके कि उनके खाता में कितना राशि प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि हर सी0एस0पी0 को कम्प्युटर, प्रिंटर की व्यवस्था रहती है। बताया गया कि इस वर्ष जी0आर0 बांटने के मामलें में शिकायत प्राप्त हुई थी, फलस्वरूप तीन सी0एस0पी0 का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है तथा प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

लोगों में यह संदेश देने के लिए इस तरह के मामले को एफ0एम0 चैनल/रेडियो द्वारा भी प्रचार–प्रसार कराने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

3.1.2020

अपर मु0 ~~प्रधान~~ सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-32/2019 ....03........./दिनांक-03/01/2020
प्रतिलिपि-सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, बिहार, पटना / सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिला के प्रभारी सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस महानिरीक्षक, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा / जिला पदाधिकारी, सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा / पुलिस अधीक्षक, सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.1.20
(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-32/2019 ....03........./दिनांक-03/01/2020
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.1.20
(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-32/2019 ....03........./दिनांक-03/01/2020
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

3.1.20
(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-32/2019 ....03........./दिनांक-03/01/2020
प्रतिलिपि-सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला के निवासी सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.1.20
(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

E:\KAMLESH\Jhabbu.doc

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-32/2019 ....03........./दिनांक-...03/01/2020

प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.1.20

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-32/2019 ....03......./दिनांक-....03/01/2020

प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव (श्री मनीष कुमार वर्मा एवं श्री अनुपम कुमार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.1.20

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-32/2019 ....03......./दिनांक-....03/01/2020

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3.1.20

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

E:\KAMLESH\Jhabbu.doc